भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1394

जिसका उत्तर गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

ई - न्यायालयों की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि

1394 # श्री नरेश बंसल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : :

(क) क्या ई-न्यायालयों की स्थापना से लंबित मामलों के निपटान में तेजी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का देश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान किया जाना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद तथा भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतवर्लित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, विभिन्न पणधारियों अर्थात बार, अनुसंधान अभिकरणों, साक्षियों तथा मुव्वकिलों, के मध्य सहयोग तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित उपयोजन सम्मिलित है । मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है । संबंधित न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है । सरकार की न्यायालयों में मामलों के निपटान में कोई भूमिका नहीं होती है । तथापि, संघ सरकार, मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

न्याय विभाग, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति के सहयोग से ई-न्यायालय परियोजना का कार्यान्वयन कर

रहा है । ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड़ परियोजना न्याय तक पहुंच में सुधार करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रारंभ की गई थी । ई-न्यायालय परियोजना ने निम्नलिखित पहलों के कार्यान्वयन द्वारा न्याय के त्वरित निपटान में सहायता प्रदान करने में मदद की है:

• अभी तक ई-न्यायालय चरण-2 के अधीन 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है (उच्च न्यायालय और राज्य-वार ब्यौरा **उपाबंध-1** पर दिया गया है)

• वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना के अधीन 2992 में से 2972 (99.3%) स्थलों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविथ के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है (उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा उपाबंध-2 पर दिया गया है) ।

• लचीली खोज प्रौद्योगिकी के साथ विकसित राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड ने 20.86 करोड़ मामलों और 18.02 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों तक पहुच अनुज्ञात की है । देरी का कारण जोड़ा गया है और ओपन एपीआई प्रारंभ किया गया है ।

• तारीख 30.04.2022 तक जिला न्यायालयों ने 1,28,76,549 मामलों में जबकि उच्च न्यायालयों ने 63,76,561 मामलों (कुल 1.92 करोड़) में वीडियों कांफ्रेसिंक के माध्यम से सुनवाईयां की हैं । तारीख 13.06.2022 तक भारत का उच्चतम न्यायालय 2,61,338 सुनवाईयां करके वैश्विक नेता के रूप में उभरा है (उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा **उपाबंध-3** पर दिया गया है) ।

• गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों ने न्यायालय मामलों का सीधा प्रसारण प्रारंभ किया है ।

• 7 प्लेटफार्मों के माध्यम से सिटिजन सेंटरिक सेवाएं प्रदान की जाती है अर्थात, एसएमएस पुश एण्ड पुल, ई-मेल, ई-न्यायालय सेवा पोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्र, सूचना कायोस्क, ई-न्यायालय मोबाइल एप (30 अप्रैल, 2022 तक कुल 79.65 लाख डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस एप (04 जुलाई, 2022 तक कुल 17,369 लाख डाउनलोड) है

• यातायात चालान के मामलों के विचारण के लिए 16 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 20 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं । जिन्होंने तारीख 04.07.2022 तक 1.69 करोड़ से अधिक मामलों में सुनवाई की है और 271 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है (राज्य-वार ब्यौरा **उपाबंध-4** पर दिया गया है)।

• ई-संदाय मॉडयूल के साथ एकीकृत अद्यतन विशेषताओं जैसे ई-वकालतनामा, ई-हस्ताक्षर, शपथ की विडीयों कांफ्रेसिंग आदि. के साथ ई-फाइलिंग सिस्टम (वर्जन 3.0) चालू किया गया है ।

• डिजिटल खाई को पाटने के लिए अधिवक्ताओं और मुवक्किलों जिन्हे सूचना से लेकर सुविधा सेवा और ई-फाइलिंग तक किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, की सुविधा के आशय से 500 ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं ।

• निर्णयों की मुफ्त सत्यापित प्रतियां प्रदान करने के लिए निर्णय खोज पोर्टल प्रारंभ किया गया है ।

• आदेशिका की तामील और समन जारी करने के लिए नेशनल सर्विस एण्ड ट्रेकिंग आफ इलैक्ट्रानिक प्रोसेस (एनएसटीईपी) आरम्भ किया गया है । इसे वर्तमान में, 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में क्रियाशील है (राज्य-वार ब्यौरा **उपाबंध-5** पर दिया गया है)।

• न्यायालय से संबंधित सूचना का प्रसार करने के लिए 21 उच्च न्यायालयों में 32 न्यायिक घडियों की स्थापना की गई है (उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा **उपाबंध-6** पर दिया गया है) ।

• न्याय के विकास के लिए एक नई वेबसाइट प्रारंभ की गई है जो माननीय प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय के दर्शन को पूरा करती है । इस नई वेबसाइट का उद्देश्य नागरिकों को विभाग की सभी डिजिटल पहलों के लिए वन स्टाप प्लेटफार्म प्रदान करना है ।

• लगभग 3,60,993 पणधारियों को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया गया है ।

(ग) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पद संख्या के पुनर्विलोकन पर विचार-विमर्श करते समय, राज्य सरकार साथ ही साथ संबद्ध उच्च न्यायालय की राय पर विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक होता है क्योंकि राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक अवसंरचना सुविधाएं और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप वेतन, सुविधाएं, वास सुविधा, न्यायाधीशों के चैंबर के रूप में बढ़े हुए खर्च के लिए उपबंध करना होता है । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से उच्च न्यायालय का दिन प्रतिदिन प्रशासन करना और उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों की प्रतिनियुक्ति करना और समय समय पर उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ का गठन करना अपेक्षित होता है । वर्तमान में सरकार के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है । इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारें, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रौन्नति, आरक्षण, सेवानिवृत्ति के मामलों से संबंधित नियम और विनियम विरचित करती है । अत:, जहां तक कि राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है कतिपय राज्यों में यह संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह राज्य लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय करते हैं ।

संविधान के अधीन संघ सरकार, जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं निभाती है । उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर सुल्तान मामलें में अपने 4 जनवरी, 2007 के आदेश में अधीनस्थ न्यायापालिका की रिक्तियों को भरने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा प्रकल्पित की है जो यह नियत करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च से प्रारंभ होगी और उसी वर्ष के 31 अक्तूबर तक समाप्त होगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य की विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु स्थितियों या अन्य सुसंगत स्थितियों के आधार पर किन्हीं कठिनाइयों की दशा में समय अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को अनुज्ञात किया है ।

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निदेशों के अनुपालन में न्याय विभाग ने सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार को आवश्यक कार्रवाही के लिए मलिक मजहर के निर्णय की एक प्रति भेजी थी । न्यय विभाग सभी उच्य न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों को अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्ति को भरने में मलिक मजहर सुलातान मामले द्वारा आज्ञापित तेजी लाने के लिए समय समय पर लिखता रहता है ।

****

उपाबंध-1

ई-न्यायालयों की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 जिसका उत्तर तारीख 28.07.2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। ई-न्यायालय चरण- II के अधीन कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	617
3	बाम्बे	दादरा और नागर हवेली	3
3		दमण और दीव	2
3		गोवा	39
3		महाराष्ट्र	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	14
4		पश्चिमी बंगाल	827
5	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	434
6	दिल्ली	दिल्ली	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	28
7		असम	408
7		मिजोरम	69
7		नागालैंड	37
8	गुजरात	गुजरात	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	162
10	जम्मू-कश्मीर	जम्मू - कश्मीर	218
11	झारखंड	झारखंड	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	1031
13	केरल	केरल	484
13		लक्षद्वीप	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	1363
15	मद्रास	पुडूचेरी	24
		तमिलनाडु	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	38
17	मेघालय	मेघालय	42
18	उड़ीसा	ओडिशा	686
19	पटना	बिहार	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	30
20		हरियाणा	500
20		पंजाब	541
21	राजस्थान	राजस्थान	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	271
	कुल		**18735**

उपाबंध-2

ई-न्यायालयों की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 जिसका उत्तर तारीख 28.07.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(25/07/2022 तक) प्रदान की गई वान परियोजना कनेक्टिविटी का उच्च न्यायालयवार विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	वान से जुड़ी साइटों की संख्या
1.	इलाहाबाद	168
2.	आंध्र प्रदेश	188
3.	बॉम्बे	464
4.	कलकत्ता	98
5.	छत्तीसगढ	90
6.	दिल्ली	7
7.	गुवाहाटी	98
8.	हिमाचल प्रदेश	43
9.	जम्मू - कश्मीर	28
10.	झारखंड	79
11.	कर्नाटक	195
12.	केरल	168
13.	मध्य प्रदेश	205
14.	मद्रास	254
15.	मणिपुर	15
16.	मेघालय	11
17.	उड़ीसा	154
18.	पटना	77
19.	पंजाब और हरियाणा	120
20.	राजस्थान	327
21.	सिक्किम	10
22.	तेलंगाना	105
23.	त्रिपुरा	16
24.	उत्तराखंड	52
	कुल	**2972**

उपाबंध-3

ई-न्यायालयों की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 जिसका उत्तर तारीख 28.07.2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई का उच्च न्यायालय-वार विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय और पीठ में वीडियो कांफ्रेंसिंग से निपटाए गए मामलों की कुल संख्या			जिला न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से निपटाए गए मामलों की कुल संख्या			कुल
		की तारीख से	तारीख तक	कुल मामले	की तारीख से	तारीख तक	कुल मामले	
1	इलाहाबाद	22-3-2020	31-03-2022	240838	22-3-2020	31-03-2022	2879359	3120197
2	आंध्र प्रदेश	26-3-2020	30-04-2022	53536	26-3-2020	30-04-2022	684471	738007
3	बॉम्बे	1-2-2022	30-04-2022	17151	1-2-2022	30-04-2022	20407	37558
4	कलकत्ता	22-3-2020	31-03-2022	128000	22-3-2020	31-03-2022	71422	199422
5	छतीसगढ	22-3-2020	30-04-2022	102893	22-3-2020	30-04-2022	31201	134094
6	दिल्ली	22-3-2020	30-04-2022	317209	22-3-2020	30-04-2022	2996145	3313354
7	गुवाहाटी - अरुणाचल प्रदेश	22-3-2020	01-03-2022	2291	22-3-2020	04-01-2022	8128	10419
8	गुवाहाटी - असम	23-3-2020	30-04-2011	165318	26-3-2020	30-04-2022	276809	442127
9	गुवाहाटी - मिजोरम	23-3-2020	30-04-2022	3963	23-3-2020	30-04-2022	13268	17231
10	गुवाहाटी - नागालैंड	22-3-2020	30-04-2022	77	22-3-2020	30-04-2022	107	184
11	गुजरात	23-3-2020	31-03-2022	33721	23-3-2020	31-03-2022	186447	220168
12	हिमाचल प्रदेश	22-3-2020	01-05-2022	91952	22-3-2020	01-05-2022	35661	127613
13	जम्मू - कश्मीर	22-3-2020	30-04-2022	256232	22-3-2020	30-04-2022	287744	543976
14	झारखंड	22-3-2020	30-04-2022	213104	22-3-2020	30-04-2022	631909	845013
15	कर्नाटक	23-3-2020	30-04-2022	780305	23-3-2020	30-04-2022	112324	892629
16	केरल	22-3-2020	30-04-2022	154043	24-3-2020	30-04-2022	488725	642768
17	मध्य प्रदेश	23-3-2020	31-03-2022	664649	23-3-2020	31-03-2022	704367	1369016
18	मद्रास	26-3-2020	30-04-2022	1423438	26-3-2020	30-04-2022	305503	1728941
19	मणिपुर	15-4-2020	31-03-2022	38515	15-4-2020	31-03-2022	15262	53777
20	मेघालय	22-3-2020	30-04-2022	1615	22-3-2020	30-04-2022	13287	14902
21	उडीसा	23-3-2020	31-03-2022	256676	19-3-2020	31-03-2022	212551	469227
22	पटना	24-3-2020	30-04-2022	242047	24-3-2020	30-04-2022	1805852	2047899
23	पंजाब और हरियाणा	23-3-2020	30-04-2022	581047	23-3-2020	30-04-2022	670111	1251158
24	राजस्थान	22-3-2020	30-04-2022	224972	22-3-2020	30-04-2022	177267	402239
25	सिक्किम	24-3-2020	30-04-2022	472	24-3-2020	30-04-2022	6560	7032
26	तेलंगाना	22-3-2020	30-04-2022	298589	22-3-2020	30-04-2022	190327	488916
27	त्रिपुरा	22-3-2020	30-04-2022	10502	22-3-2020	30-04-2022	10436	20938
28	उत्तराखंड	15-4-2020	30-04-2022	73406	15-4-2020	30-04-2022	40899	114305
	कुल			**6376561**			**12876549**	**19253110**

उपाबंध-4

ई-न्यायालयों की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 जिसका उत्तर तारीख 28.07.2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। वर्चुअल न्यायालयों का विवरण इस प्रकार है (04/07/2022 तक):

क्र.सं.	स्थापना का नाम	प्राप्त हुआ	कार्यवाही संपन्न	चुनाव लड़ा	भुगतान किए गए चालान	चालान राशि
1	पुणे यातायात विभाग	6,080	6,056	16	471	93,750
2	महाराष्ट्र परिवहन विभाग	28,548	12,494	20	802	18,93,905
3	मध्य प्रदेश यातायात विभाग	5	4	-	-	
4	त्रिपुरा यातायात विभाग	6	5	-	-	
5	उत्तर प्रदेश यातायात विभाग	40,78,318	32,82,468	7,707	1,74,512	10,49,17,575
6	केरल यातायात विभाग	64,064	40,462	142	7,630	38,69,641
7	मेघालय यातायात विभाग	22	21	-	-	
8	कर्नाटक यातायात विभाग	28,043	28,011	119	22,161	14,51,18,370
9	तमिलनाडु यातायात विभाग	91,781	87,357	791	29,422	23,26,46,660
10	ओडिशा ट्रैफिक सीटीसी-बीबीएसआर कमिश्नरेट	82,672	78,830	185	6,640	65,33,001
1 1	सूचना शाखा दिल्ली यातायात विभाग	99,09,804	97,61,680	38,689	9,58,632	68,96,69,055
12	केरल परिवहन विभाग	2,24,442	1,73,391	857	31,310	3,94,06,051
13	हिमाचल प्रदेश यातायात विभाग	11,052	10,192	8	221	10,91,753
14	जम्मू यातायात विभाग	5,608	4,801	37	1,835	9,95,890
15	कश्मीर यातायात विभाग	1,06,602	94,501	784	24,231	1,22,58,583
16	असम यातायात विभाग	57,039	57,039	290	15,577	1,08,99,681
17	छत्तीसगढ़ यातायात विभाग	81	80	-	31	64,500
18	वर्चुअल कोर्ट दिल्ली (यातायात)	33,09,982	32,86,434	90,398	13,78,930	1,46,54,06,982
19	हरियाणा यातायात विभाग	8,204	1,553	12	143	1,26,101
20	पश्चिमी बंगाल यातायात विभाग	13	9	-	1	1
	कुल	**1,80,06,286**	**1,69,19,332**	**1,40,039**	**26,52,078**	**2,71,48,97,749**

उपाबंध-5

ई-न्यायालयों की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 जिसका उत्तर तारीख 28.07.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। कार्यान्वित एनएसटीईपी का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	01.01.2022 तक की गई प्रक्रियाएँ	30.04.2022 तक की गई प्रक्रियाएँ	प्रगति प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश	695	119	17.12
2	असम	4350	5256	120.83
3	बिहार	12071	36023	298.43
4	चंडीगढ़	3	3	100.00
5	छतीसगढ	12428	8294	66.74
6	दिल्ली	16761	26105	155.75
7	दीव और दमण	4	4	100.00
8	सिलवासा में डीएनएच	45	45	100.00
9	गुजरात	3	3	100.00
10	हरियाणा	1653	2578	155.96
1 1	हिमाचल प्रदेश	33	33	100.00
12	जम्मू - कश्मीर	1 1	10	90.91
13	झारखंड	514	514	100.00
14	कर्नाटक	135574	159501	117.65
15	केरल	86	97	112.79
16	मध्य प्रदेश	24170	38537	159.44
17	महाराष्ट्र	55896	96352	172.38
18	मणिपुर	229	378	165.07
19	मिजोरम	127	145	114.17
20	ओडिशा	5	3	60.00
21	पुडुचेरी	437	2331	533.41
22	पंजाब	15339	18810	122.63
23	राजस्थान	27089	28113	103.78
24	सिक्किम	2479	2702	109.00
25	तमिलनाडु	61301	113324	184.86
26	तेलंगाना	39439	38171	96.78
27	त्रिपुरा	9680	14853	153.44
28	उत्तर प्रदेश	38451	73415	190.93
	कुल	**458311**	**665719**	**145.25**

उपाबंध-6

ई-न्यायालयों की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 जिसका उत्तर तारीख 28.07.2022 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।न्याय घड़ी का उच्च न्यायालय वार विवरण इस प्रकार है (25/07/2022 तक):

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	स्थापित न्याय घड़ी की संख्या
1	इलाहाबाद	2
2	आंध्र प्रदेश	1
3	कलकत्ता	1
4	छत्तीसगढ़	1
5	दिल्ली	1
6	गुवाहाटी	4
7	गुजरात	1
8	हिमाचल प्रदेश	1
9	झारखंड	1
10	केरल	1
11	कर्नाटक	3
12	मध्य प्रदेश	3
13	मद्रास	2
14	मणिपुर	1
15	मेघालय	1
16	उड़ीसा	1
17	राजस्थान	2
18	सिक्किम	1
19	त्रिपुरा	1
20	उत्तराखंड	1
21	जम्मू - कश्मीर	2
	कुल	**31**

****